

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
073/2022	11.10.2022	28.10.2022
(GCMS 2022/369)		

अनवान

भैरूलाल पिता किशनलाल धनगर निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं.9950976644)

अपीलांत**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

--:: निर्णय ::--

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 01.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./073/2022(सू.अ.)(28.10.2022)/813 दिनांक 13.10.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.10.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 28.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र से सूचना देने के बावजूद अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने



अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/851 दिनांक 20.10.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी भैरूलाल पिता किशनलाल धनगर निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.09.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सतर्कता/जनसुनवाई अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/360 दिनांक 13.09.2022 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, परन्तु आदिनांक सूचना अप्राप्त होने से प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सतर्कता/जनसुनवाई अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जायेगी।
4. अतः उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा श्रीमान् को प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/851 दिनांक 20.10.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/360 दिनांक 13.09.2022 से प्रभारी अधिकारी, सतर्कता/जनसुनवाई अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। परन्तु संबंधित अनुभाग द्वारा आदिनांक तक लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित अनुभाग (प्रभारी अधिकारी, सतर्कता/जनसुनवाई अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़) से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि



में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित अनुभाग (सतर्कता/जनसुनवाई अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़) से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)